ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटाप कार्यक्रम

- सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सोलर पावर की 10700 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापना लक्षित है, जिसमें से 4300 मेगावाट रूफटाप सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

- इस नीति के अन्तर्गत सोलर रूफटॉप के घरेलू उपभोक्ताओं को केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त प्रति किवा0 रू0 15,000/– अधिकतम रू0 30,000/–का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

- सोलर रूफटाप पावर प्लांट की लक्षित क्षमता 4300 मेगावाट के अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति प्रदेश में सार्वजनिक/आद्यौगिक/कामर्शियल/निजी आवास/सरकारी /अर्द्धसरकारी इत्यादि के द्वारा स्थापित परियोजनाओं से किया जाना है। भारत सरकार/राज्य सरकार के अनुदान एवं बिना अनुदान के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 225 मेगावाट सोलर रूफटाप पावर प्लान्ट स्थापित हुए है।

S.No	CONSUMER TYPE	INSTALLED CAPACITY (KW)	% Contribution
1	RESIDENTIAL	9.2	4
2	COMMERCIAL	50.75	23
3	INSTITUTE	60.77	27
4	SOCIAL INSTITUTE	3.6091	2
5	GOVERNMENT BUILDING	99.77	44
6	INDUSTRIAL CONSUMER	0.92	0
	Total	225.00	100

- प्रदेश में अब तक स्थापित सोलर रूफटाप संयत्रों की वर्षवार प्रगति निम्नवत हैः–

क्रम सं0	वर्ष	स्थापित संयत्रों की क्षमता
1.	2016–17	37.47 मेगावाट
2.	2017–18	64.83 मेगावाट
3.	2018–19	122.63 मेगावाट
4.	2019–20	5.00 मेगावाट

- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सोलर रूफटाप पावर प्लान्ट रेगुलेशन–2019 के तहत घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य श्रेणियों के उपभेक्ताओं के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था के साथ सोलर रूफटाप पावर प्लांट की स्थापना समाप्त कर दी गयी है।

- केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में कार्यक्रम के संचालन हेतु फेज–2 की गाइड लाइन निर्गत की गयी है। जिसमें कार्यक्रम के संचालन का दायित्व डिस्काम्स को प्रदान किया गया है।

- फेज–2 की गाईड लाइन में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 01 कि.वाट से 03 कि. वाट तक के सोलर रूफटाप पावर प्लाण्टों पर 40 प्रतिशत एवं 03 कि. वाट से 10 कि.वाट तक 20 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा 60 मेगावाट का लक्ष्य विभिन्न डिस्कॉम को आवंटित किया गया है।

- एमएनआरई भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार न्यूनतम दरों की प्राप्ति एवं फर्मो के इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दरें एवं फर्मे निम्नवत अनुमोदित की गयी हैंः–

संयत्र की क्षमता	संयत्र की दर	अनुमोदित फर्मे
01 से 10 किलोवाट	रू. 38000.00 प्रति किलोवाट	71
11 से 100 किलोवाट	रू. 32000.00 प्रति किलोवाट	05

- वर्तमान कार्यक्रम के सापेक्ष आनलाईन आवेदन दिनांक 21.12.2019 से प्राप्त किये जा रहे हैं। अभी तक लगभग 05 मेगावाट के आवेदन उपभोक्ताओं द्वारा किये गये हैं।